न्यायालय-श्री मान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (म०प्र०)

182

III/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/3719

राजस्व निगरानी क्र०-......

1- श्रीमती कुसुमवती बेवापत्नी श्री सत्यनारायण शुक्ला,
2- शोभनाथ शुक्लातनय श्री सत्यनारायण शुक्ला
दोनो निवासी ग्राम-कपुरी बेदौलिहान, तहसील-चुरहट, जिला सीधी म०प्र० .... आवेदकगण

बनाम

1- रोशनलाल शुक्ला,) तनय श्री सत्यनारायण शुक्ला सभी निवासी ग्राम
2- सूर्यभान शुक्ला,) कपुरी बेदौलिहान, तहसील-चुरहट, जिला सीधी
3- लक्ष्मीकांत शुक्ला) म०प्र० .... अना०गण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड-चुरहट, जिला सीधी म०प्र० के राजस्व प्र०क्र०-288/अपील/2016x2017, आदेश दिनांक-25.09.2017,

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959,

मान्यवर,

प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से निम्नांकित आधारो पर निगरानी आवेदन पत्र सेवार्पित है :----

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य :---

----भूमियां खसरा क्रमांक-286 रकवा-0.31, 288 रकवा-0.54, 289/2 रकवा-0.09, 312 रकवा-0.07, 320 रकवा-0.20, 321 रकवा-0.23, 346 रकवा-0.22, 349 रकवा-0.04, 359 रकवा-0.36, 532 रकवा-0.08, 822 रकवा-0.02 है० कुल किता-11 योग रकवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सीधी / भू0राज0 / 2017 / 3719

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30 –10–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत यथास्थिति के आदेश दिये हैं और प्रकरण में पेशी दिनांक 9–10–17 नियत की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त प्रश्नाधीन आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	